राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्रामीण विकास (अनुभाग–6) विभाग

क्रमांक : एफ. 3(3)ग्रावि / ग्रुप–6 / 2005 जयपुर, दिनांक 30, मार्च 2015

आदेश 11 / 2015

:: डांग क्षेत्रीय विकास योजना – दिशा निर्देश (संशोधित) ::

1.0 प्रस्तावना :–

1.1 राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण–पूर्वी जिलों के दस्युओ से प्रभावित डांग क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछडा हुआ हैं । इस क्षेत्र के विकास हेतु यद्वपि विभिन्न योजनाओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बजट इस क्षेत्र को उपलब्ध नहीं हो पाता हैं जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र विकास के पैरामीटर्स के दृष्टि से अन्य सामान्य क्षेत्रों से पिछडा हुआ है ।

1.2 राज्य के डांग क्षेत्र का चिन्हीकरण विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर किया जाकर डांग क्षेत्र में 8 जिले यथा **भरतपुर, बारां, बून्दी, धौलपुर, झालावाड, कोटा, करोली एवं सवाई माधोपुर जिले** की कुल 22 पंचायत समितियाँ शामिल हैं।

1.3 राजस्थान राज्य के डांग क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक विकास के साथ–साथ ग्रामीण आधारभूत सुविधाऐं विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 की बजट घोषणा अनुसार दिनांक 15.12.2005 से लागू की गयी है ।

1.4 राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2014–15 बजट घोषणा –

- **66-00 :- ''राज्य के कई क्षेत्र अन्य क्षैत्रों की तुलना में पिछड़े हैं। ऐसे जनजाति, डांग, डांग, गूजर बाहुल्य व मेवात क्षैत्र में Infrastructure विकास और सेवाओं के लिए गठित संस्थाऐं मेवात क्षैत्रीय विकास बोर्ड, डांग क्षैत्रीय विकास बोर्ड,देवनारायण बोर्ड और डांग क्षैत्रीय विकास बोर्ड को Strengthen किया जायेगा। ये संस्थायें अपने कार्य क्षैत्र में Infrastructure विकास के लिए चल रही सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए Infrastructure Gaps चिन्हित करेंगी।''**
- **66.50 :- ''अगले 5 वर्षो के लिए Infrastructure Gaps के विकास के लिए डांग योजना हेतु 300 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है।''**

की क्रियान्विति एवं डांग क्षेत्र का समग्र विकास करने के उद्देश्य से डांग क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देश (संशोधित) जारी किये जाते हैं ।

2.0 योजना का उद्देश्य :–

प्रदेश का डांग क्षेत्र जिसमें अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं, राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। डांग क्षेत्रीय विकास योजना के संशोधित दिशा निर्देशों से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी :–

2.1 डांग क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक आधाभूत ढॉचागत विकास।
2.2 सामुदायिक एवं अन्य आधारभूत भौतिक परिसम्पत्ति सृजन ।

2.3 **श्री योजना** में शामिल 5 मूल आधारभूत सुविधाऐं यथा ग्राम स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण आन्तरिक सड़के, शिक्षा एवं ग्राम में रोशनी की व्यवस्था के कार्यों का प्राथमिकता से सम्पादन।

2.4 जनसंख्या के आधार पर डांग ग्रामीण क्षेत्र का चरणबद्ध समग्र विकास।

2.5 डांग ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं ग्राम की जनसंख्या के आधार पर गांवों का समग्र विकास।

2.6 डांग क्षेत्रीय विकास योजना एवं अन्य विकास योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्तियों का रखरखाव।

2.7 स्थानीय नागरिकों को रोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं आवश्यक संसाधनों का विकास ।

2.8 शिक्षा, चिकित्सा एवं पुरातत्व, पर्यावरण संरक्षण आदि से सम्बन्धित कार्य।

2.9 कला, संस्कृति एवं पर्यटन विकास।

3.0 योजना क्षेत्र :–

डांग क्षेत्र विकास योजना राज्य के 8 जिलों की 22 पंचायत समितियों के 2206 गांवों में लागू होगी।

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	योजनान्तर्गत शामिल गांवों की संख्या
1	भरतपुर	1. रूपवास	20
		2. बयाना	37
2	बारां	1. अन्ता	46
		2. किशनगंज	103
		3. शाहबाद	146
		4. छबडा	111
		5. छिपाबडोद	101
		6. अटरू	58
3	बून्दी	1. के0 पाटन	95
4	धौलपुर	1. धौलपुर	81
		2. राजाखेडा	123
		3. बाडी	87
		4. बसेडी	134
5	झालावाड	1. मनोहरथाना	154
		2. बकानी	180
6	कोटा	1. ईटावा	71
		2. सुल्तानपुर	81
7	करोली	1. करोली	211
		2. सपोटरा	238
		3. हिण्डोन	29
8	स0माधोपुर	1. खण्डार	80
		2. गंगापुरसिटी	20
	योग	22	2206

डांग क्षेत्र में शामिल गांवों की जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या लगभग 19.78 लाख है।